

**FORM NO. III**

**फर्द अहकाम**

(नियम 26)


अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम रामगढ़ जिला-अलावर

कदम राजवंती बनाम श्री लालम  
 नं० 11/543 सन्

| हुकम | हुकम या कार्यवाही मयईनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए |
|------|----------------------------------|--|
|------|----------------------------------|--|

10.08.2024


यह वाद पत्र वादी की ओर से अधिवक्ता श्री रोहिताश शर्मा के द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53, 188 के तहत प्रस्तुत किया गया। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जयें रजि ए डी सम्मन तामील जारी हो। पत्रावली बाद तलबी दिनांक 17.10.2024 को पेश हो।

05/12/24 पत्रावली तारीख पेशी के लिए प्रार्थना  
 जज हुकी। पत्रावली वादके  
 तलबी दिनांक 20/02/24  
 को पेश है।  


3-2-25

आज यह पत्रावली वादनी के डा. पत्र पर  
 तपक की गयी। वादनी द्वारा डा. पत्र प्रस्तुत  
 कर निवेदन किया कि उरत को आगे नहीं चलाना  
 चाहते हैं वहां नोट प्रेस में खारिज करने हेतु  
 निवेदन किया है। वादनी के डा. पत्र का अयोजन  
 किया गया। डा. पत्र स्वीकार किया जाकर  
 उरत प्रकरण को नोट-प्रेस में खारिज  
 किया जाता है। पत्रावली केशन शुमार  
 होकर 51खिल संचार है।

राजवंती

  
**उपखण्ड अधिकारी**  
**रामगढ़**